

म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल

कमांक/मण्डी/प्रांगण/45/48/150

भोपाल, दिनांक 03/09/2015

आदेश

म०प्र०शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के आदेश कमांक/डी-15-3/15/14-3 दिनांक 27 जनवरी 2015 के तहत शासकीय तथा अर्द्धशासकीय संस्थाओं को मंडियों में रिक्त गोदाम रू० 25/- प्रतिटन प्रतिमाह दर जिसे कि 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष वृद्धि की जाकर म०प्र० कृषि उपज मंडी (भूमि एवं संरचना का आवंटन) नियम 2009 के नियम 3(6) के तहत समसंख्यक आदेश कमांक 48 दिनांक 28/01/2015 जारी कर स्वीकृति दी गई है।

प्रदेश की मंडी समितियों रिक्त गोदाम संरचनाओं को आवंटन हेतु पारदर्शी प्रक्रिया अपनाकर म०प्र० कृषि उपज मंडी (भूमि एवं संरचना का आवंटन) नियम, 2009 में वर्णित अनुदेशों के तहत मंडी समितियों के अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों/भंडागारिक/प्रसंस्करणकर्ता को रू० 25/- प्रतिटन प्रतिमाह दर पर उपलब्ध करा सकेगी, जिसमें प्रतिवर्ष किराये की दर में 10 प्रतिशत वृद्धि भी किया जाना आवश्यक होगा।

(अरुण मण्डेय)

प्रबंध संचालक

म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

भोपाल, दिनांक 03/09/2015

कमांक/मण्डी/प्रांगण/45/48/151

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

01. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय भोपाल।
02. स्टाफ आफीसर, कृषि उत्पादन आयुक्त म०प्र० शासन भोपाल।
03. निज सचिव, प्रमुख सचिव, म०प्र० शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय भोपाल।
04. प्रबंध संचालक, म०प्र० वेयर हाउसिंग एंड लाजिस्टिक कार्पोरेशन आफिस, काम्प्लेक्स ब्लॉक "ए" गौतमनगर भोपाल।
05. प्रबंध संचालक, म०प्र० राज्य सहकारी विपणन संघ, जहांगीराबाद भोपाल।
06. प्रबंध संचालक, म०प्र० राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, पर्यावास भवन भोपाल।
07. प्रबंध संचालक, म०प्र० एग्रो इंडस्ट्रिज विकास निगम पंचानन भवन भोपाल।
08. संयुक्त संचालक/उपसंचालक, म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय(समस्त) मंडी समितियों के रिक्त गोदामों को शीघ्र आवंटन करने की कार्यवाही की जायें।
09. सचिव, कृषि उपज मंडी समिति.....जिला.....(समस्त) उपरोक्त निर्देशों के पालन में नियमानुसार कार्यवाही की जायें।

प्रबंध संचालक

म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल